

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा।

विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन

1. संबंधित प्रखण्ड/नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समय—सीगा —	09.01.2026 से 24.01.2026 तक
2. मेघासूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने की तिथि —	28.01.2026
3. मेघासूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं निराकरण की तिथि —	29.01.2026 से 02.02.2026
4. चयन सूची के प्रकाशन की तिथि —	05.02.2026
5. नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यक्रम —	09.02.2025

*विकास मित्र का चयन :—

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह (कलरस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलरस्टर) शहरी में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी, उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

1. चयन हेतु अर्हता :— (1) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार की जाति बहुलता वाले होंगे। (2) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलरस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (3) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (4) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :— (1) नन—मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवीं पास (4) सातवीं पास (5) छठ्ठा पास (6) पाँचवीं पास। सर्वप्रथम नन—मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं गिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जाएगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न—शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे अधिक हो उनका चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जाएगा। (5) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (6) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (7) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. आयु सीमा :— आवेदक की उम्र दिनांक—24.01.2026 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. जाति बहुलता :— पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जाएगा।
4. नियोजन की अवधि :— विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष की आयु तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।
5. मानदेय :— प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगताय होगा।
6. सामान्य निर्देश :— कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदों की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय—समय पर प्रेषित किया जाएगा।

- आवेदन पत्र जमा करने का स्थान :— संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय।

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत	जाति बहुलता	अभ्युक्ति
1	हिलसा	जुनियार	पासी (महिला)	

अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

- बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्प लाईन, पटना का संपर्क नं0—18003456345 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र का प्रपत्र वेबसाईट (www.mahadalitmission.org) पर उपलब्ध है।
- सभी संबंधित जानकारी के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
- अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
हिलसा (नालन्दा)।

